संख्याः 33/2018/871/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 2018**

विषयः- ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-632/ग्रिड संयो-रूफटाप-शासन(136)/2018-19 दिनांक 07.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति-2017 घोषित की गई है, सौर ऊर्जा नीति के अनुसार निजी भवनों में ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना को बढ़ावा दिये जाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा रूपये 15000/- प्रति कि.वॉ. अधिकतम रूपये 30,000/- प्रति उपभोक्ता अनुदान भी निर्धारित किया गया है। इस योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु यूपीनेडा को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है एवं इस हेतु ऑन-लाइन एकल विण्डो क्लीयरेंस प्रणाली लागू किये जाने हेतु नीति में प्राविधान किया गया है। प्राविधानित नीति के अनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नवत किया जायेगा :-

1- यूपीनेडा द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु ऑन-लाइन इन्टरेक्टिव वेब-पोर्टल का विकास किया जायेगा (यूनीफाइड सोलर रूपटॉप ट्राजंक्शन पोर्टल) इस वेब-पोर्टल के माध्यम से रूफटॉप पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु ऑन-लाइन आवेदन प्राप्त करने से लेकर लाभार्थी को अनुदान दिये जाने तक की समस्त कार्यवाही की जायेंगी। ऑन-लाइन पोर्टल में विभिन्न कार्यवाहियों हेतु संलग्नक के अनुसार समय-सीमा का अनुपालन किया जायेगा।

2- उपभोक्ता द्वारा यूपीनेडा को आन-लाइन आवेदन के पश्चात तत्काल यू.पी.पी.सी.एल. की वेबसाइट पर नेट-मीटर तथा अन्य औपचारिकता हेतु आवेदन किया जायेगा।

3- उपभोक्ता को संयंत्र की स्थापना एवं नेट-मीटर स्थापित किये जाने हेतु कुल 210 दिन का समय दिया जायेगा।

4- उपभोक्ता द्वारा संयंत्र की स्थापना एवं नेटमीटरिंग के पश्चात समस्त प्रपत्र के साथ अनुदान हेतु ऑन-लाइन आवेदन 224 दिनों में किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आवेदन कम्प्यूटर द्वारा स्वतः हटा दिया जायेगा एवॅ उन्हें पुनः नये सिरे से आवेदन करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- नेट-मीटर के संबंध में लाभार्थी के पास यह विकल्प होगा कि नेट-मीटर यदि संबंधित डिस्कॉम (विद्युत वितरण कम्पनी) के पास है तो वह उसे प्राप्त कर ले अन्यथा की स्थिति में वह उसको निजी तौर पर क्रय कर संबंधित डिस्कॉम के माध्यम से स्थापित करायें।

6- ऑन-लाइन आवेदन में उपभोक्ताओं को अनुदान हेतु श्रेणीवार रखा जायेगा। प्रथम श्रेणी में वे आवेदक होगें जो अनुदान की स्वीकृत धनराशि के सीमा तक ऑन-लाइन आवेदन की तिथि से 224 दिनों में संयंत्र की स्थापना का कार्य पूर्ण कर आवेदन कर देगें। दूसरी श्रेणी जिसमें अनुदान की धनराशि कन्फर्म श्रेणी के उपभोक्ता द्वारा निर्धारित अवधि में संयंत्र स्थापित न करने पर मूल सूची के बाहर होने के कारण प्राप्त हो सकेंगी। या भारत सरकार की आगामी स्वीकृति के पश्चात् अनुदान देय हो सकेगा। वेब-पोर्टल पर अनुदान की नवीनतम उपलब्धता की सूचना आवेदन के समय उपलब्ध रहेगी।

7- इसी पोर्टल पर बिन्दु-6 के अनुसार संख्या पूर्ण होने पर आगामी वर्ष हेतु भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन के आधार पर यूपीनेडा द्वारा अनुदान हेतु राज्य सरकार तथा एमएनआरई से मांग की जायेगी तथा धनराशि प्राप्त होने पर उपलब्ध धनराशि के आधार पर क्रम से जहाँ तक उपभोक्ता का अनुदान दिया जा सकता है। सूचना वेब-पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

8- अनुदान प्रथम आगत, प्रथम पावत के आधार पर होगा, जो ऑन-लाइन प्रणाली पर आधारित होगा एवं वह स्वतः कम्प्यूटर द्वारा संचालित होगा।

9- यूपीनेडा द्वारा संयंत्रों की स्थापना हेतु निविदा की जायेगी। निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर को अनुमोदित किया जायेगा एवं उसी दर पर अन्य आपूर्तिकर्ता, जो सहमत होंगे उनको पंजीकृत किया जायेगा। निविदा के अतिरिक्त अन्य आपूर्तिकर्ता फर्म एमएनआरई, के संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार अपना पंजीकरण इस वेब-पोर्टल पर कर सकते हैं।

10- निविदा नेटमीटरिंग के लिए आमंत्रित की जायेगी साथ में एमएनआरई की गाइड-लाइनस् के अनुसार 1 घण्टे के लिए बैटरी बैकअप के साथ भी दरें प्राप्त की जायेगी एवं बैटरी वाले संयंत्र की स्थापना की दरें भी पोर्टल पर रहेगी। उपभोक्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह किसी एक का चयन करे परन्तु अनुदान की धनराशि एमएनआरई, भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार ही देय होगी।

11- इम्पैनल्ड निर्माता तथा न्यूनतम दर का विवरण वेब-पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। लाभार्थी को ऑन-लाइन आवेदन के पश्चात लाभार्थी स्वेच्छा से किसी भी आपूर्तिकर्ता का चयन कर संयंत्र स्थापित कराये जाने के लिए स्वतंत्र होगें।

12- एमएनआरई, भारत सरकार का अंशदान एमएनआरई, की बेन्च मार्क प्राइज या निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर का 30 प्रतिशत जो भी कम होगा एवं राज्य सरकार का अंशदान जैसा कि सौर ऊर्जा नीति में वर्णित किया गया है, दिया जायेगा। संबंधित उपभोक्ता को अंशदान की धनराशि संयंत्र की स्थापना एवं कमीशनिंग का पूर्ण विवरण तथा यूपीनेडा/थर्ड-पार्टी द्वारा निरीक्षण-रिपोर्ट, वेब-पोर्टल पर अपलोड किये जाने के पश्चात् ही हस्तांतरित की जायेगी। हस्तांतरित किये जाने वाला खाता लाभार्थी के आधार से लिंक होना आवश्यक होगा तथा पंजीकरण के समय जो खाता संख्या दिया जायेगा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13- एक ही उपभोक्ता को पुनः सब्सिडी न प्राप्त हो सके इसके लिए ऑन-लाइन पोर्टल में पूरी व्यवस्था निर्धारित की जायेगी।

14- संयंत्र की स्थापना के पश्चात् उसके अनुरक्षण तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म की 05 वर्षो के लिए होगी तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा इस संबंध में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी, तथा उपभोक्ता के साथ अनुबन्ध किया जायेगा जिसकी सूचना पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। स्थापितकर्ता कम्पनी द्वारा कार्य न किये जाने तथा उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर यूपीनेडा द्वारा उसको डिबार किये जाने या ब्लैक-लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

15- संयंत्रों की स्थापना एमएनआरई, द्वारा निर्धारित तकनीकी विशिष्टिकरण तथा दिशा निर्देश के अनुरूप कराया जायेगा।

2- कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in